भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

.....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1047

(03 दिसम्बर, 2012 को उत्तर दिए जाने के लिए)

असम में आईजीएनओएपीएस का कार्यान्वयन किया जाना

1047. श्रीमती नाज़नीन फारूख :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस) के अंतर्गत असम को आबंटित निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्य सरकार इन निधियों का पूर्णतः उपयोग कर रही है;

(ग) असम के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे वृद्ध लोगों/महिलाओं की जिला-वार संख्या क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आज की तारीख तक प्रत्येक वृद्ध महिला/पुरूष को प्रदान की गई पेंशन की धनराशि कितनी-कितनी है; और

(ङ) इस योजना के अंतर्गत शामिल किए जाने के लिए निर्धारित मानदंड/दिशा-निर्देश क्या हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रदीप जैन ' आदित्य')

(क) और (ख) : इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) का घटक है। एनएसएपी राज्य योजना के अधीन है और एनएसएपी की सभी योजनाओं के लिए संयुक्त आंबटन के रूप में राज्यों को निधियाँ वित्त मंत्रालय अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के रूप में रिलीज करता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान एनएसएपी के अंतर्गत असम को आबंटित निधियाँ और सूचित व्यय इस प्रकार है :

वर्ष	एनएसएपी के अंतर्गत असम राज्य को रिलीज की गई निधियाँ (रू. लाख में)	सूचित व्यय (रू. लाख में)
2009-10	17265.00	16833.00
2010-11	16787.00	11718.00
2011-12	11207.50	16875.71

(ग) : आईजीएनओएपीएस के तहत असम राज्य द्वारा सूचित लाभार्थियों की संख्या 598965 है। लाभार्थियों के जिले-वार ब्यौरे केंद्र सरकार नहीं रखती है।

(घ) : आईजीएनओएपीएस के तहत प्रत्येक लाभार्थी को प्रति माह 200/- रूपए की केंद्रीय सहायता दी जाती है। अस्सी वर्ष और इससे अधिक आयु के लाभार्थियों के लिए केंद्रीय सहायता की दर 1.4.2011 से बढ़ाकर 500/- रूपए प्रति माह कर दी गई है।

(ङ) : भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के 60 वर्ष और इससे अधिक आयु के सभी व्यक्ति (विधवाओं और गंभीर या विभिन्न विकलांगताओं से ग्रस्त 60-79 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को छोड़कर) आईजीएनओएपीएस के तहत पेंशन पाने के हकदार हैं।

****